6

6.1 ऋण आयोजना
6.2 पुनर्वित्त गतिविधियाँ
6.3 पुनर्वित्त के रुझान
6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन
6.5 वित्तीय वर्ष 2024 में पुनर्वित्त हेतु की गई नई पहल
6.6 ऋण वितरण व्यवस्था की दक्षता में सुधार
6.7 वित्तीय समावेशन का सुदृढ़ीकरण
6.8 आगे की राह

वित्तीय समावेशन हेतु ऋण आयोजना और ऋण वितरण

भारत में ग्रामीण विकास का संवर्धन करने वाली एक शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड का प्रमुख दायित्व आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) के प्रवाह को बढ़ाना है. नाबार्ड का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सबसे छोटे और सीमांत हितधारकों तक संस्थागत ऋण की पहुँच सुनिश्चित करना है ताकि वे अपनी कृषि और कृषीतर गतिविधियों के विविधीकरण, विस्तार और आधुनिकीकरण (वैज्ञानिक रूप से) के लिए निवेश कर सकें. इस प्रकार, वे लंबी अवधि में समावेशी और संधारणीय ग्रामीण विकास में योगदान दे सकते हैं और उनसे होने वाले लाभों का आनंद उठा सकते हैं.

एक ओर नाबार्ड, ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन के साथ-साथ पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त - दोनों प्रकार के उत्पादों के माध्यम से अंतिम छोर तक ऋण वितरण कर ऋण की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने की अपनी भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर ऋण की माँग भी बढ़ाता है.

6.1 ऋण आयोजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण की माँग (संभाव्यता) का आकलन करने और उसकी पूर्ति का प्रयास करने के लिए ऋण आयोजना आवश्यक है. नाबार्ड ने अखिल भारतीय स्तर पर 479 जिला विकास प्रबंधकों को पदस्थापित किया है जिनका प्रमुख दायित्व है ऋण आयोजना, ऋण प्रवाह का अनुप्रवर्तन और चैनल पार्टनरों के साथ समन्वय.

ऋण आयोजना के अंतर्गत, नाबार्ड देश के सभी जिलों के लिए वार्षिक आधार पर संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है. इन दस्तावेजों में जिला स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण संभाव्यता के आकलन के साथ-साथ आधारभूत संरचना तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिए अपेक्षित समग्र सहयोग/उपायों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, 729 पीएलपी तैयार की गई हैं जिनमें 758 जिलों को शामिल किया गया है. ये दस्तावेज़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति सुनिश्चित करने और वार्षिक ऋण योजना तैयार करने में बैंकों का मार्गदर्शन करते हैं.

किसी राज्य के सभी जिलों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु पीएलपी में आकलित ऋण संभाव्यता के आधार पर स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) तैयार किया जाता है जो राज्य की ऋण संभाव्यता के अलावा राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विद्यमान कमियों के साथ-साथ उनके विकास हेतु अपेक्षित रणनीतियों को रेखांकित करता है. एसएफ़पी सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सहायता को भी रेखांकित करता है.

अंत में, एसएफपी को राज्य ऋण संगोष्ठी (एससीएस) में लोकार्पित किया जाता है. इस संगोष्ठी में आधारभूत संरचना की कमियों और इस क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों पर उपयुक्त भागीदारों, नामत: राज्य सरकार, बैंकों, अनुसंधान संस्थाओं आदि के साथ विचार-विमर्श किया जाता है. इन संगोष्ठियों से प्राप्त होने वाले सुझाव राज्य सरकारों को यथावश्यक नीतियों/योजनाओं को बनाने और उपयुक्त बजटीय प्रावधान करने में सहायता करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, राज्य ऋण संगोष्ठिया आयोजित करके 30 एसएफपी लॉन्च किए गए. वित्तीय वर्ष 2025 हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत एसएफपी अनुमान ₹61 लाख करोड़ है, जिसमें से कृषि का हिस्सा ₹26.3 लाख करोड़ अर्थात् 43% है.

नाबार्ड वित्तीय समावेशन के माध्यम से ऋण की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ाता है और साथ ही ऋण की मांग को भी प्रोत्साहित करता है.

सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों और ग्रामीण सहकारी (ग्रास) बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र हेतु आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करती है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ₹20 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष ₹25.1 लाख करोड़ (आँकड़ा अनंतिम) का संवितरण किया गया. इस प्रकार उपलब्धि लक्ष्य से 25% अधिक रही (चित्र 6.1). उल्लेखनीय है कि कृषि जीएलसी की वृद्धि में अधिकांश हिस्सा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का रहा.

चित्र 6.1: वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान एजेंसी द्वारा आधार स्तरीय कृषि ऋण (आँकड़े अनंतिम) (₹ लाख करोड़ में)

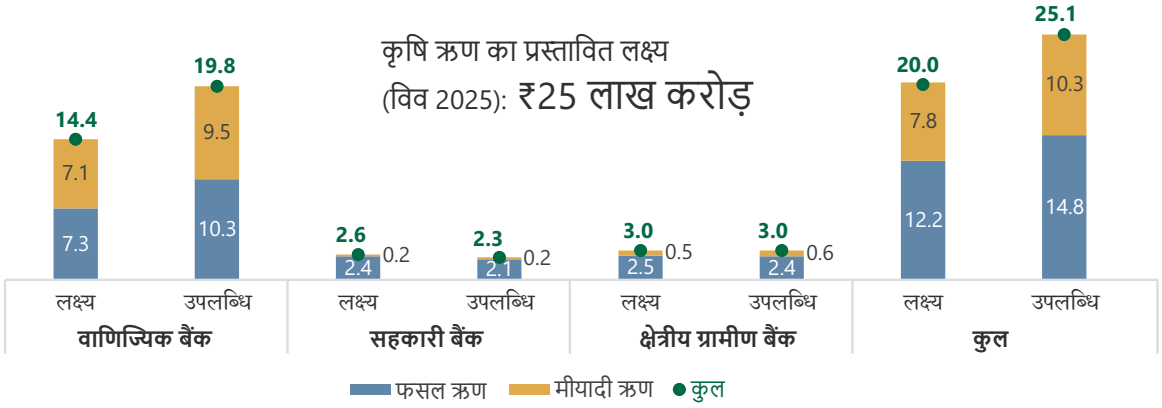

6.2 पुनर्वित्त गतिविधियाँ

ग्रामीण ग्राहकों की विविध ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उनके ऋण पोर्टफोलियों के समक्ष पुनर्वित्त प्रदान करता है. सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को अधिप्राप्ति (अल्पावधि) और आधारभूत संरचना परियोजनाओं (दीर्घावधि) के लिए सीधे ऋण प्रदान किए जाते हैं. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) में पूंजी निर्माण के लिए अल्पावधि कार्यशील पूंजी और दीर्घावधि निधियाँ - दोनों शामिल हैं.

नाबार्ड, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि (एसटीसीआरसीएफ), अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निधि और दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) के अंतर्गत रियायती पुनर्वित्त प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप कृषि के साथ-साथ उससे संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण वितरण में वृद्धि हुई है और जमीनी स्तर पर ऋण किफायती हो गया है.

6.3 पुनर्वित्त के रुझान

उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि कुल अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरण ₹1.8 लाख करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2024 हेतु निर्धारित लक्ष्य का 121% था. (चित्र 6.2). वित्तीय वर्ष 2024 में दीर्घावधि पुनर्वित्त के तहत संवितरण सामान्य रहा. इस दौरान ₹1.7 लाख करोड़ का दीर्घावधि पुनर्वित्त संवितरित किया गया, जो लक्ष्य का 76% है.

चित्र 6.2: दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता (₹ करोड़)

दीर्घावधि पुनर्वित्त

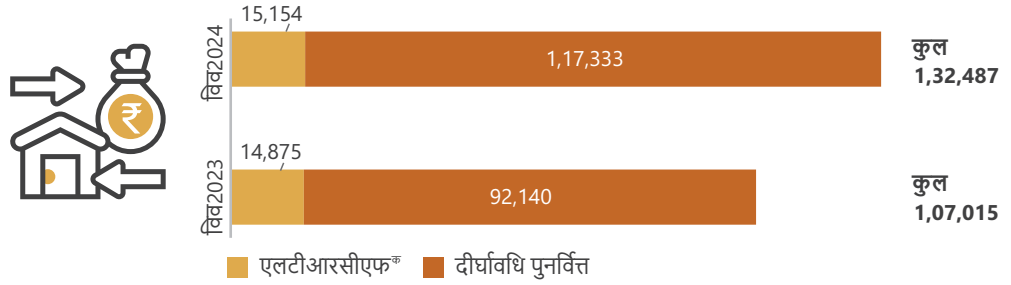

अल्पावधि पुनर्वित्त

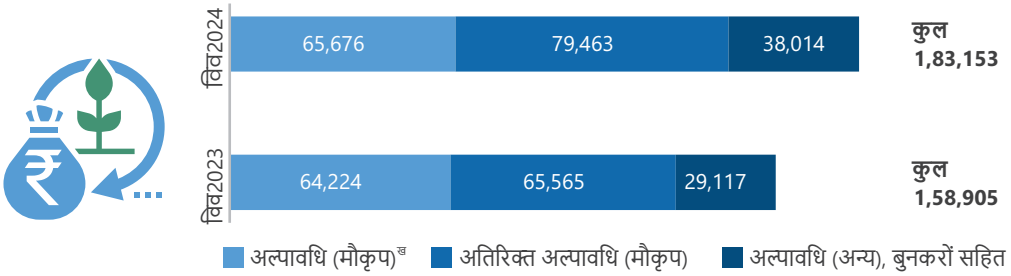

कुल पुनर्वित्त सहायता वि2023 **2,65,920** वि2024 **3,15,639**

[क] निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ₹25,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹15,154.2 करोड़ की राशि जारी.

[ख] निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ₹75,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹65,675.7 करोड़ की राशि जारी.

एलटीआरसीएफ = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि, अल्पावधि (मौकृप) = मौसमी कृषि परिचालनों हेतु अल्पावधि ऋण

नोट: पूर्णांकन के कारण आँकड़े कुल से भिन्न हो सकते हैं

चित्र 6.3: एजेंसी द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का संवितरण (₹ करोड़)

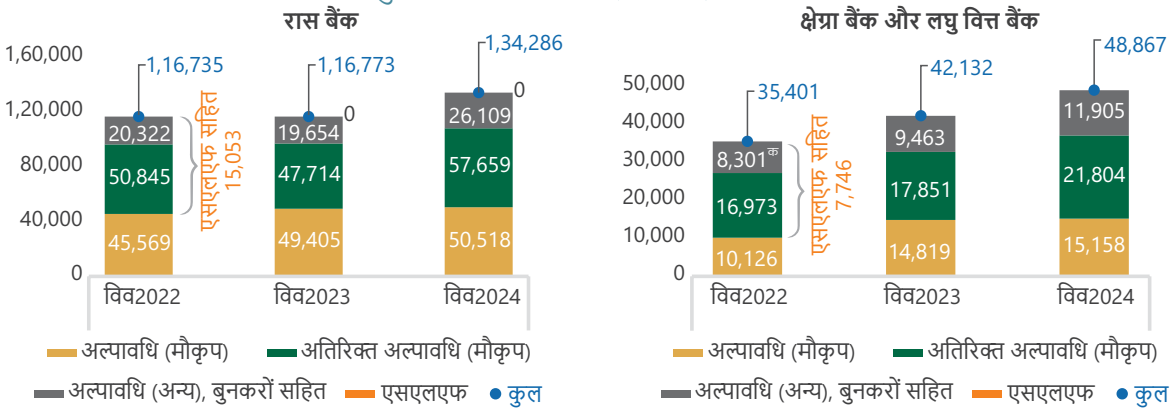

[क] लघु वित्त बैंक को ₹32.8 करोड़ संवितरित

क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसएलएफ = विशेष चलनिधि सुविधा, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, अल्पावधि (मौकृप) = मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण

नोट : वित्तीय वर्ष 2022 हेतु एसएलएफ को पहले ही अतिरिक्त मौकृप और अल्पावधि (अन्य) में शामिल कर लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष चलनिधि सुविधा के तहत कोई आबंटन नहीं किया गया.

6.3.1 अल्पावधि पुनर्वित्त का निष्पादन

किसानों, बुनकरों और कारीगरों की उत्पादन और कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान ₹1.8 लाख करोड़ के कुल अल्पावधि ऋण में से 73.3% राशि राज्य सहकारी बैंकों को संवितरित की गई (चित्र 6.3). नाबार्ड की अल्पावधि ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में संवितरण में 15% की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सहकारी संस्थाओं को अल्पावधि ऋण सुविधा में 15% की वृद्धि हुई जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), दोनों को मिलकार, संवितरण 16% बढ़ गया.[1] क्षेत्र-वार ट्रेंड के संबंध में दक्षिणी क्षेत्र ने 42.1% पर अल्पावधि पुनर्वित्त का अधिकतम भाग प्राप्त किया है, इसके उपरांत उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र को क्रमशः 18.7%, 17.1% और 14.3% प्राप्त हुए हैं. पश्चिमी क्षेत्र का अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरण में बहुत छोटा भाग (7.5%) है (चित्र 6.4).

चित्र 6.4: अल्पावधि पुनर्वित्त का क्षेत्रवार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)

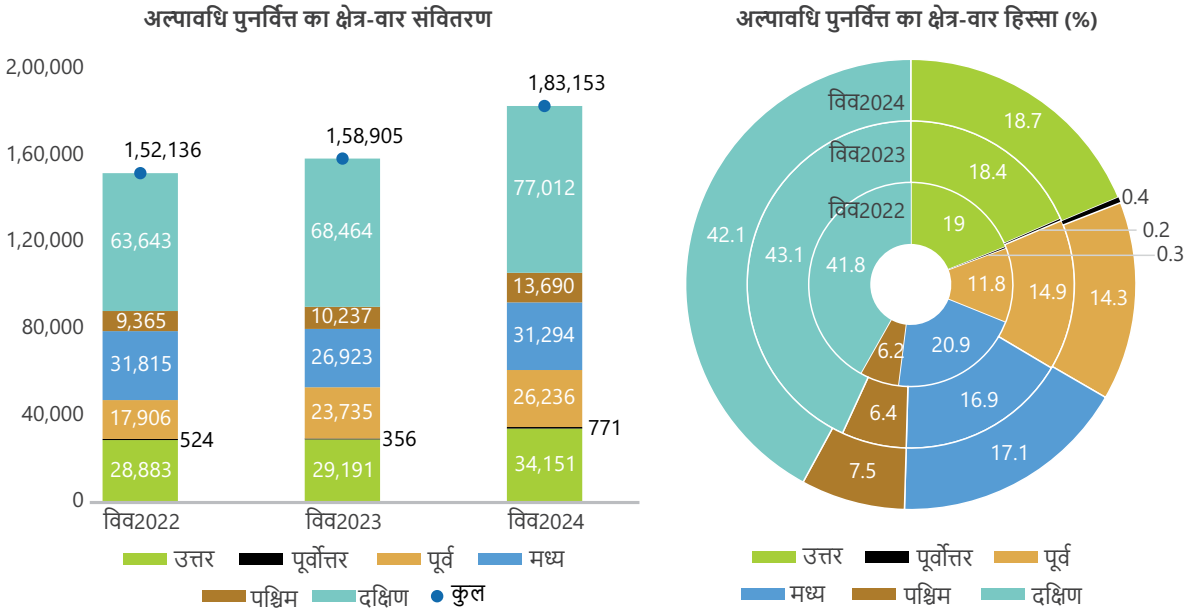

नोट्स :

- पूर्णांकन के कारण आँकड़े कुल से भिन्न हो सकते हैं.
- राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रवार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में नोट 1 देखें.

6.3.2 दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत ₹1.3 लाख करोड़ की राशि संवितरित की गई, जिसमें 23.8% की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 6.5). संवितरण का बड़ा हिस्सा (67%) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, इनमें लघु वित्त बैंक भी शामिल हैं, को दिया गया, उसके बाद रास बैंकों (13%) और क्षेग्रा बैंकों (10%) का स्थान रहा.

दीर्घावधि पुनर्वित्त में भी क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है क्योंकि पुनर्वित्त का बड़ा हिस्सा दक्षिण क्षेत्र (39.6%) को संवितरित किया गया, जिसके बाद पश्चिम (21.3%), उत्तर (17.5%), मध्य (10.6%), पूर्व (9.7%) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (1.4%) का स्थान रहा (चित्र 6.6).

चित्र 6.5: दीर्घावधि पुनर्वित्त का एजेंसी-वार संवितरण (₹ करोड़)

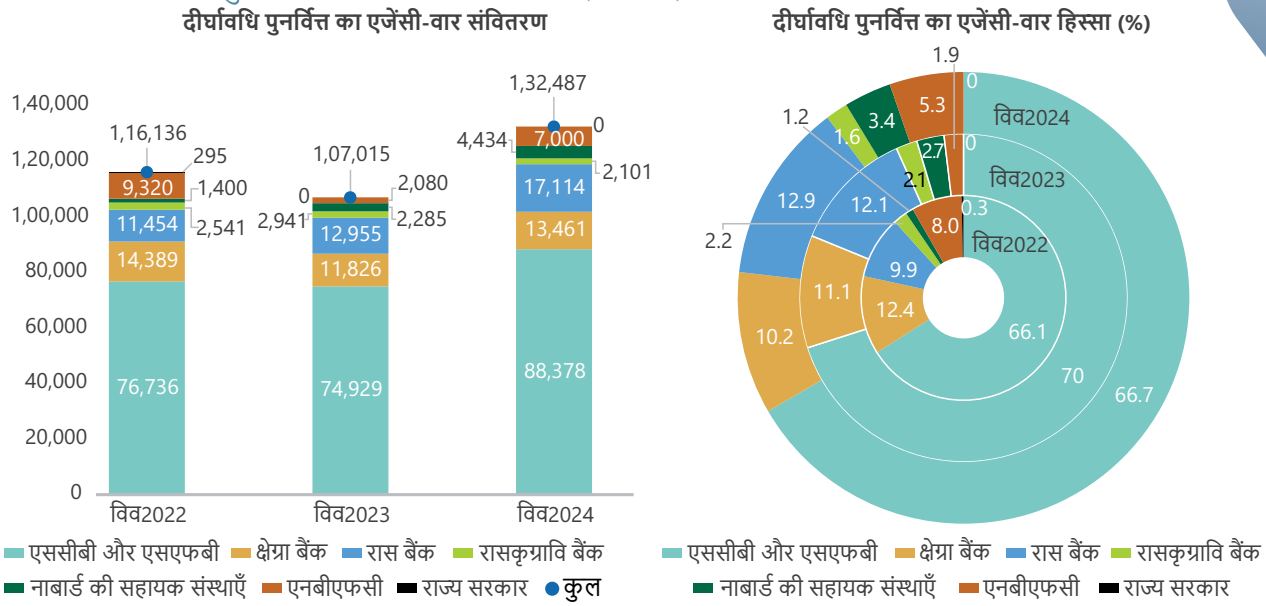

एनबीएसफसी = गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसएफबी = लघु वित्त बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

नोट: पूर्णांकन के कारण आँकड़े कुल से भिन्न हो सकते हैं.

चित्र 6.6: दीर्घावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)

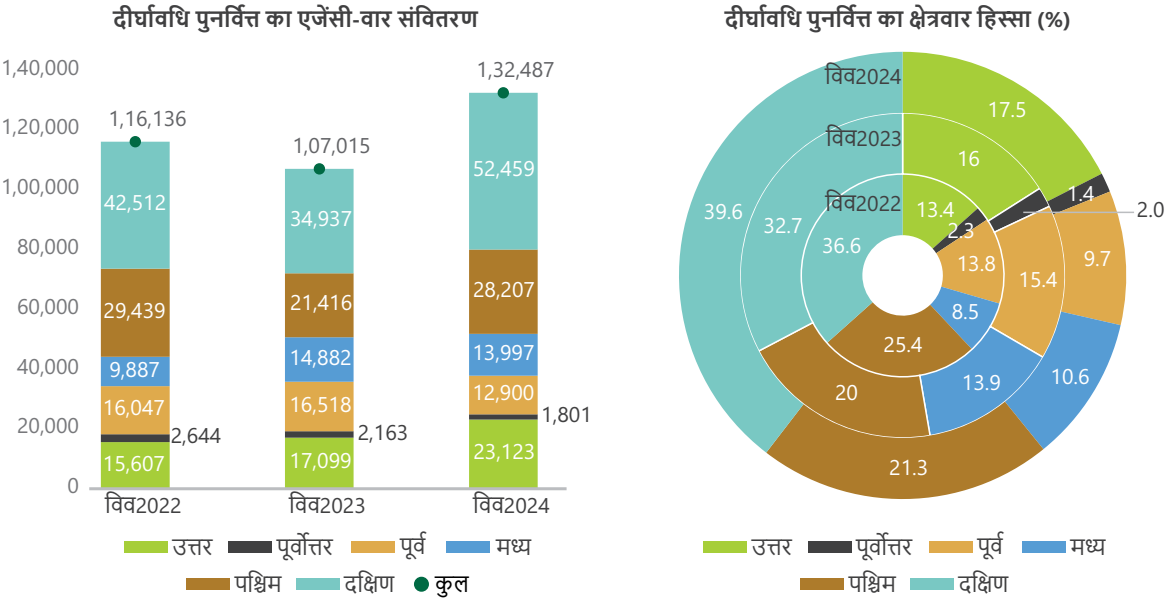

नोट्स:

- पूर्णांकन के कारण आँकड़े कुल से भिन्न हो सकते हैं.
- राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रवार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में नोट 1 देखें.

6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन

अल्पावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता के अतिरिक्त, नाबार्ड की कुछ विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ भी हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है (चित्र 6.7).

चित्र 6.7: वित्तीय वर्ष 2024 में विशेष पुनर्वित्त योजनाओं का निष्पादन

बहु सेवा केंद्रों के रूप में पैक्स

वित्तीय वर्ष 2021-2024 के दौरान पैक्सों को बहुसेवा केंद्रों के रूप में बदलने के लिए

डब्ल्यूएलजीएसपी पायलट हेतु रियायती पुनर्वित्त
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित.
31 मार्च 2024 तक: **11 गोदामों** का उद्घाटन किया गया और **500 गोदामों** का शिलान्यास किया गया.

विव2024 में संवितरण: ₹621.8 करोड़
संचयी संवितरण
31 मार्च 2024 तक: **₹1,167 करोड़**

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों हेतु रियायती सहायता
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संवर्धित
31 मार्च 2024 तक
रियायती संवितरण: **₹43.5 करोड़**

वॉश

वॉश गतिविधियों हेतु रियायती पुनर्वित्त
ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में
संचयी संवितरण
31 मार्च 2024 तक: **₹163.5 करोड़**

लघु वित्त बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त

किफ़ायती ऋण किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, खुदरा व्यापारों, छोटे व्यवसायों, पेशवरों और अन्य गैर-संगठित इकाइयों को
विव2024: शिवालिक लघु वित्त बैंक को ₹79.8 करोड़
संचयी संवितरण
31 मार्च 2024 तक: **₹152.6 करोड़**

पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, एसआरएफ = विशेष पुनर्वित्त सुविधा, वॉश = जल, स्वच्छता और स्वास्थ, डब्लयूएलजीएसपी = सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

नोट्स :

- डब्ल्यूएलजीएसपी के अंतर्गत पैक्स स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे - कृषि आधारभूत संरचना निधि, कृषि विपणन आधारभूत संरचना, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - के तालमेल से अनाज भंडारण हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना की जानी है, जिसमें गोदाम और साइलो सहित अन्य कृषि आधारभूत संरचनाएँ, जैसे- खरीद केंद्र, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, ग्रामीण हाट आदि शामिल हैं. अधिक जानकारी बॉक्स ए10.1 में उपलब्ध है.
- इनमें से प्रत्येक पुनर्वित्त उत्पाद के विवरण हेतु कृपया नाबार्ड (2023) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 देखें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई पृष्ठ सं. 75. वेबसाइट का लिंक- https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report- 2022-23-full-report.pdf.

ब्याज सहायता, इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलों को सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन, ऋण-सहबद्ध सब्सिडी, फेडरेशनों को ऋण सुविधा और प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता कुछ अन्य उत्पाद हैं जिन्हें नाबार्ड भारत सरकार के लिए प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहा है (चित्र 6.8, बॉक्स 6.1). नाबार्ड जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त के माध्यम से और परिसंघों को ऋण सुविधा के माध्यम से सहकारी समितियों की सहायता करता है (चित्र 6.8).

चित्र 6.8: वित्तीय वर्ष 2024 में अन्य ऋण उत्पादों का निष्पादन

ब्याज सहायता योजनाएँ

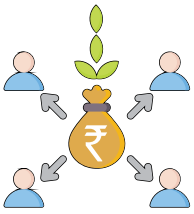

- ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों हेतु फसल ऋण ब्याज सहायता योजना
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए ब्याज सहायता- फसलोत्पादन के प्रयोजन के साथ-साथ परक्राम्य भंडारागार रसीदों के समक्ष
- पशुपालकों और मत्सयपालकों को ऋण चुकौती से संबंधित प्रोत्साहन राशि के लिए ब्याज सहायता
- केसीसी धारक किसानों को अल्पावधि ऋण (फसल, पशुपालन अथवा मत्सय पालन हेतु) पर ब्याज सहायता
- ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों हेतु डे-एनआरएलएम के अंतर्गत ब्याज सहायत योजना

विव2024 में संवितरण

- अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत ₹8,297.1 करोड़
- डे-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के माध्यम से डब्ल्यूएसएचजी को 1,036.2 करोड़
- 31 मार्च 2024 तक संचयी संवितरण: ₹5,638.9 करोड़.

चीनी मिलों को इथनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता

विव2024

- ग्रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आदि के माध्यम से ₹492.3 करोड़ की ब्याज सहायता.
- 917 त्रैमासिक दावों का निपटान किया गया

31 मार्च 2024 तक संचयी रूप से

- ₹930.9 करोड़ की ब्याज सहायता दी गई
- 2,170 त्रैमासिक दावों का निपटान किया गया

दावों का निपटान नए विकसित चीनी इथनॉल पोर्टल के माध्यम से किया गया.

भारत सरकार की पूंजी सहायता योजना का कार्यान्वयन

कृषि परियोजनाओं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की गतिविधियों हेतु सब्सिडी की चैनलिंग

वित्तीय वर्ष 2024 में निष्पादन

विवरण	एसीएबीसी	नई एएमआई योजना	पुरानी एएमआई योजना
इकाइयों की संख्या	239	4,679	0
जारी की गई सब्सिडी (₹ करोड़)	11.4	915	-
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी निष्पादन			
इकाइयों की संख्या	3,697	7,498	42,260
जारी की गई सब्सिडी (₹ करोड़)	146.9	1,385	4,467
वैज्ञानिक भंडारण क्षमता (लाख एमटी)	-	20,383	60,853

केसीसी सैचुरेशन अभियान

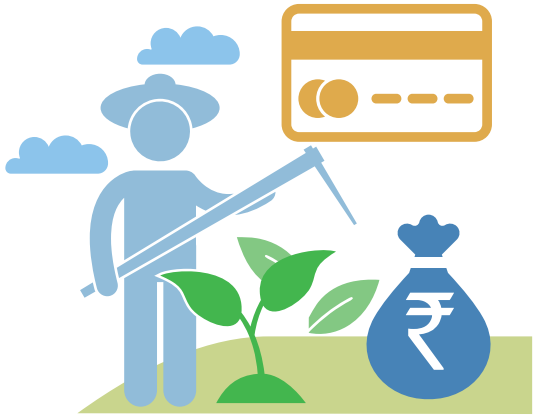

चरण II (जून 2020 से अब तक)
लक्ष्य: 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी

केसीसी की संख्या (लाख)	146.6
मंजूर सीमाएँ (₹ करोड़)	1,41,640

अल्पावधि बहुद्देशीय ऋण हेतु रास बैंकों और जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता

प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता - कार्यशील पूंजी, कृषि उपकरणों और अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव, उपज के भंडारण/ ग्रेडिंग/ पैकेजिंग, विपणन गतिविधियों, खाद्य ऋण कनसॉर्शियम, गैर-कृषि गतिविधियों, सहकारी और निजी चीनी कारखानों को मंजूर गिरवी सीमाओं के समक्ष कार्यशील पूंजी ऋण आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदत्त ऋणों के लिए.

विव2024 में

- ₹26,816 करोड़ की मजूरी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 25% अधिक है.
- ₹26,869 करोड़ का संवितरण, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 48% अधिक है.
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹13,956 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि ₹20,504 है.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में रासबैंकों और जिमस बैंकों द्वारा लिए गए ऋण
- 'सी' रेटिंग वाले जिमस बैंक भी डीआरए हेतु पात्र हैं

परिसंघों को ऋण सुविधा

विपणन संघों, डेयरी सहकरी समितियों, दुग्ध संघों और परिसंघों को उपकरणों की खरीद, प्रसंस्करणों, और विपणन परिचालनों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अल्पावधि ऋण

विव 2024 में

- ₹38,700 करोड़ की मंजूरी (विव 2024); ₹40,606 करोड़ (विव 2023)
- ₹39,240 करोड़ का संवितरण, जो कि वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 25% अधिक है
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹17,355 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि ₹20,583 है.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में विपणन परिसंघों और सिविल सप्लाइज़ निगमों द्वारा लिए गए ऋण

एसीएबीसी = एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्र , एएमआई = कृषि विपणन आधारभूत संरचना, सीएसएस = पूँजी सब्सिडी योजना, डीएवाई-एनआरएलएम = दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआरए = प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, आईएस = ब्याज सहायता, केसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड, एमटी = मीट्रिक टन, एनडब्ल्यूआर = परक्राम् भंडारागार रसीद, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, डब्ल्यूएसएचजी = महिला स्वयं सहायता समूह

नोट्स :

- एएमआई योजना के तहत ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित और उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है.
- एसीएबीसी योजना के तहत कृषि में प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कृषि उद्यमों की स्थापना के माध्यम से सार्वजनिक पहुँच के प्रयासों में सहयोग किया जाता है.
- इनमें से प्रत्येक ऋण उत्पाद के विवरण हेतु कृपया नाबार्ड (2023) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 देखें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई पृष्ठ सं. 76-77. वेबसाइट का लिंक- https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report- 2022-23-full-report.pdf.

बॉक्स 6.1: किसान क्रेडिट कार्ड की पहुँच बढ़ाना

घर घर केसीसी अभियान	वीबीएसवाई और पीएम-जनमन	एएचडीएफ-केसीसी अभियान
नाबार्ड ने पीएम-किसान के उन लाभार्थियों को लक्ष्यित करते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जिन्हें अभी तक केसीसी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था. इस अभियान के तहत आयोजित शिविरों की निगरानी नाबार्ड द्वारा विशेष रूप से विकसित आईटी आधारित एप्लिकेशन द्वारा की गई. जीजीकेए के अंतर्गत 490 जिलों के 1,998 विकास खंडों और 5,914 गाँवों में 6,6361 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 2.7 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए.	भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2023 को सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वीबीएसवाई और पीएम-जनमन नामक राष्ट्रव्यापी पहलों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक कर केसीसी जैसी योजनाओं का कवरेज बढ़ाना है ताकि कमजोर वर्गों के उन लोगों को इनका लाभ मिल सके जो इन योजनाओं के लिए पात्र हैं, परंतु अभी तक उनका लाभ उठा नहीं सके हैं.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन, डेयरी और मत्सयपालन करने वाले सभी पात्र किसानों को केसीसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 01 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक पुन: राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ-केसीसी अभियान चलाया.

एएचडीएफ =पशुपालन, डेयरी और मत्सयपालन, जीजीकेए - घर घर केसीसी अभियान, केसीसी =किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-जनमन= प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियानम, पीएम-किसान - प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, वीबीएसवाई = विकसित भारत संकल्प यात्रा

6.5 वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान पुनर्वित्त हेतु नई पहलें

6.5.1 नीतिगत पहलें

- **अतिरिक्त मौसमी कृषि परिचालनों और अल्पावधि (अन्य) हेतु अल्पावधि ऋण के अंतर्गत अस्थिर दरें**: ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन सुविधाओं के तहत प्रारंभ की गई परिवर्तनशीलता से अब ग्राहक बैंक अस्थिर दरों पर पुनर्वित्त प्राप्त कर पा रहे हैं.
- **दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत अस्थिर दरें**: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत अस्थिर दरों पर एक उत्पाद की शुरुआत की गई.
- **विशेष पुनर्वित्त योजनाओं (एसआरएस) के अंतर्गत स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ)**: चूँकि, वर्ष 2020 से दो विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ 'बहु सेवा केंद्रों के रूप में पैक्स' और 'कृषि आधारभूत संरचना निधि' परिचालन में हैं और ग्राहक बैंकों ने इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक अनुभव और योग्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए इनके अंतर्गत पुनर्वित्त हेतु मंजूरी-पूर्व प्रक्रिया के स्थान पर स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा की शुरुआत की गई है.[2]
- **बृहत्तर ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों में छूट**: पुनर्वित्त हेतु पात्रता मानदंडों में छूट दी गई है ताकि जिन ग्रास बैंकों की आतंरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी1 से एनबीडी7 है, उन्हें भी 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने की अनुमति दी जा सके.

6.5.2 परिचालनात्मक पहलें

- पुनर्वित्त की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई, और वाणिज्यिक बैंकों हेतु पुनर्वित्त परिचालनों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई.
- एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए पुनर्वित्त हेतु दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई.
- एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और उनमें संशोधन कर बैंकिंग उद्योग के रुझानों को उनमें शामिल किया गया. क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में विस्तृत आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए गए.

- जमीनी स्तर पर पुनर्वित्त से सृजित आस्तियों के सुचारू रूप से सत्यापन हेतु नैब-परीक्षण एप का नवीकरण किया गया.
- बाजार की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और तदनुसार पुनर्वित्त उत्पादों को डिजाइन करने की पहलों ने नाबार्ड के पुनर्वित्त क्षेत्र में नए ग्राहकों, जैसे - इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कर्नाटक बैंक, डीबीएस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आदि - को आकर्षित किया है.

नाबार्ड तेजी से और पूर्णतया बदलते वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य में उभरते विकल्पों और अवसरों के प्रति उत्तरदायी रहा है.

6.6 ऋण वितरण व्यवस्था की दक्षता में सुधार

नाबार्ड, नवोन्मेष को बढ़ावा देने और ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने हेतु प्रतिबद्ध है. इस दिशा में उसने गतिशील रणनीतियों और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना जारी रखा है ताकि उसके परिचालनों में दक्षता बढ़े, उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके. वर्तमान वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य में तेज़ी से, बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और नाबार्ड उनके फलस्वरूप उत्पन्न विकल्पों और अवसरों के प्रति सचेत है और तदनुसार कार्य करता है. उसने देश में ऋण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए न केवल मौजूदा पहलों को आगे बढ़ाया है, बल्कि पिछले वर्ष कई पहलें भी शुरू की हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं.

- **ग्रास बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)**: नाबार्ड, वर्ष 2012 से ग्रास बैंकों को सीबीएस की परिधि में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अब तक, 214 बैंक इस पहल से लाभान्वित हुए हैं. वर्ष 2024 में नाबार्ड को इस पहल के लिए 'एसोशिएशन ऑफ डीएफआई इन एशिया एंड पैसिफिक' नामक संस्था से वित्तीय समावेशन की श्रेणी में प्रतिष्ठित सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- **ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के लिए केंद्रीकृत एकाउंट एग्रीग्रेटर (एए) प्लैटफ़ॉर्म**: नाबार्ड ने केंद्रीकृत एए प्लेटफार्म को सफलतापूर्वक विकसित करने और प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण करने की पहल की है, जिससे ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के लिए एए फ्रेमवर्क में शामिल होने की पूंजी लागत में कमी आएगी. इससे सहभागी बैंकों के बीच वित्तीय सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान में वृद्धि होने की संभावना है.
- **ग्रास बैंकों के लिए साझा आधार डाटा वॉल्ट**: आधार डाटा सुरक्षा में सुधार करने के लिए, नाबार्ड साझा एडीवी वातावरण हेतु विचार-विमर्श के लिए सहायता प्रदान कर रहा है. आशा है कि इससे सहभागी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए लागत में कमी आएगी.
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास - ऋण वितरण, ब्याज सहायता आदि के लिए**:
  - **ई-केसीसी पोर्टल**: नाबार्ड ने केसीसी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे किसान घर पर बैठकर ही ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को अपने ऋण संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इस पोर्टल में, पहले चरण में केसीसी ऋणों की मंजूरी की परिकल्पना की गई है. आगे इसका चरणबद्ध रूप से विस्तार कर इसमें अन्य प्रकार के कृषि ऋणों, जैसे - वैयक्तिक ऋण अथवा एमएसएमई ऋणों को शामिल किया जाएगा.[3] इस पोर्टल को राज्य सरकारों की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली, सैटेलाइट इमेजरी, सिबिल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जोड़ा जाएगा ताकि बैंकों द्वारा 'अपने ग्राहक को जानें'अर्थात् केवाईसी प्रमाणीकरण प्राप्त कर ऋण की हामीदारी की जा सके.[4] बैंकों के दृष्टिकोण से, यह पोर्टल ऋण उत्पत्ति प्रणाली के लिए अपेक्षित सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे बैंक ऋण की संवीक्षा कर तत्काल उसकी सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दे सकते हैं.
  - **ई-परक्राम्य भंडारागार रसीद (ईएनडब्ल्यूआर) गिरवी ऋण गेटवे**: भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करते हुए नाबार्ड ने वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस),[5] भारत सरकार के 'जनसमर्थ' पोर्टल पर ईएनडब्ल्यूआर गिरवी ऋण हेतु एक गेटवे विकसित किया है. 'ई-किसान उपज निधि' नामक पोर्टल की शुरुआत 04 मार्च 2024 को की गई थी और आशा है कि इससे कृषक समुदाय को आसानी से गिरवी ऋण उपलब्ध हो सकेंगे. नाबार्ड राज्य और जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन कर 'ईएनडब्ल्यूआर पर आधारित गिरवी ऋण योजना' के बारे में सूचनाओं का प्रसार करेगा.
  - **एआईएफ ब्याज सहायता पोर्टल**: नाबार्ड, एआईएफ योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज सहायता दावों के साथ-साथ ऋण गारंटी शुल्क के दावों का स्वचालित रूप से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल विकसित कर रहा है, जिससे दावों का निपटान सटीक और त्वरित रूप से किया जा सकेगा. यह बैंकों को लाभार्थियों को नई इकाइयाँ स्थापित करने और ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एआईएफ के अंतर्गत और अधिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रेरित करेगा. फिलहाल इस पोर्टल में यूज़र ऐक्सेप्टेंस टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है.

एआईएफ़ ने औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुँच को सक्षम करने, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी अपनाने और नवोन्मेष में सहायता करने, आधारभूत संरचना तथा कनेक्टिविटी और पॉलिसी एडवोकेसी की सुविधा प्रदान करके अंतिम बिंदु तक वित्तपोषण में सुधार किया है.

- **एनआरएलएम ब्याज सहायता पोर्टल**: नाबार्ड ने ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों द्वारा डे-एनआरएलएम[6] के अंतर्गत वित्तपोषित महिला स्वयं सहायता समूहों के एनआरएलएम ब्याज सहायता दावों के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है. इस पोर्टल का शुभारंभ 11 जनवरी 2024 को किया गया था. 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 हेतु कुल ₹142 करोड़ के ब्याज सहायता दावों का सफलतापूर्वक भुगतान किया गया.

- **घर घर केससीसी अभियान की निगरानी**: नाबार्ड ने इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों की निगरानी के लिए आईटी-आधारित ऐप्लिकेशन विकसित किया है (विवरण हेतु बॉक्स 6.1 देखें).
- **कृषि मूल्य शृंखला वित्तपोषण का डिजिटलीकरण (एवीसीएफ)**: नाबार्ड की यह पहल निविष्टियों की खरीद, फसल उत्पादन और उपज की अधिप्राप्ति के वित्तपोषण और डिजिटलीकरण को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे इन संस्थाओं को कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं के साथ और अधिक व्यवस्थित रूप से जोड़ा जा सकेगा. नाबार्ड ने दो स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ मिलकर तीन राज्यों में एवीसीएफ प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है जिसमें 10 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और 16 फसलों को शामिल किया गया है. इस परियोजना के लिए दो बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त हुई है. इसके अलावा, नाबार्ड सक्रियता से इन प्रायोगिक परियोजनाओं में आने वाली फील्ड स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने हेतु प्रयासरत है, जिसके लिए वह एफपीओ त्वरक (एक्सलरेटर) मॉडल के कार्यान्वयन के साथ-साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर प्रयोजन-बद्ध ऋण वितरण का प्रयास कर रहा है.[7]
- **प्रौद्योगिकी सुविधा निधि (टीएफएफ)**: नाबार्ड ने टेक स्टार्ट-अप की सहायता से डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अपने लाभ से ₹50 करोड़ के कॉर्पस के साथ एक समर्पित निधि की स्थापना की है. वर्ष के दौरान, टीएफ़ए के अंतर्गत ₹73.17 लाख की राशि की दो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई.
- **साईबर जोखिमों से ग्रास बैंकों को बचाना**: एक ईकोसिस्टम डेवलपर के रूप में नाबार्ड ने 75 ग्रास बैंकों के लिए सामूहिक साइबर जोखिम बीमा प्राप्त करने में सहायता की है, जिसके लिए केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल पर एक साझा 'प्रस्ताव अनुरोध' डाला गया. इस पहल से ग्रास बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदी गई एकल पॉलिसियों की तुलना में काफी कम प्रीमियम पर और अधिक व्यापक कवरेज के साथ बीमा प्राप्त हुआ. इस बीमे के तहत अधिकतम देयता कवरेज हेतु प्रीमियम था 'देयता की सीमा' का 0.62% (0.75%-1.25% की बाजार की दरों के समक्ष), जो सामूहिक साइबर जोखिम बीमा की नाबार्ड की पहल के बिना संभव नहीं होता. 12 माह की यह पॉलिसी (01 अप्रैल से प्रभावी) न केवल अनुकूल शर्तों पर वृहत्तर कवरेज़ प्रदान करती है बल्कि एकल रूप से 'प्रस्ताव अनुरोध' फ्लोट करने के लिए ग्रास बैंकों को आने वाले कार्यभार को भी कम करती है. इसलिए, आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक ग्रास बैंक नाबार्ड की साझा आरएफपी प्रक्रिया में शामिल होंगे ताकि वे वित्तीय वर्ष 2026 हेतु साइबर जोखिम बीमा सामूहिक रूप से खरीद सकें.

6.7 वित्तीय समावेशन का सुदृढ़ीकरण

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2019 में विभेदीकृत रणनीति अपनाई जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना और संपूर्ण देश में वित्तीय समावेशन तक समान पहुँच प्रदान करना. इस पहल के तहत 'विशेष फोकस वाले जिलों' पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इन जिलों में आंकक्षी जिले, वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिले, पहाड़ी राज्यों के जिले, ऋण वितरण की कमी वाले जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनआईआर) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं.

नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) की अनुदान सहायता से भारत में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से अंतिम सिरे पर मौजूद लोगों के वित्तपोषण में सुधार आया है. इस सहायता से लोगों को ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त हुई, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता में वृद्धि हुई, प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और नवोन्मेष हेतु मदद मिली, आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, और साथ ही ग्रामीण जनसंख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित और अल्पसेवित वर्गों के लिए नीति निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया.

चित्र 6.9: वित्तीय समावेशन निधि से सहायता प्राप्त गतिविधियाँ

एटीएम=स्वचालित टेलर मशीन, एयूए=आधार उपयोगकर्ता एजेंसी, ए/वी=श्रव्य दृश्य, बीबीपीएस=भारत बिल भुगतान प्रणाली, भीम यूपीआई=भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेस, सीकेवाईसीआर=केंद्रीय 'अपने ग्राहक को जानें' रिकार्ड रजिस्ट्री, एफ़आईएफ़=वित्तीय समावेशन निधि, केयूए=केवाईसी यूज़र एजेंसी, एमपॉस = मोबाइल पॉइंट फॉर सेल, पीएफएमएस = सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, पॉस = पॉइंट ऑफ सेल, यूपीएस = निर्बाध पावर सप्लाई, वीएसएसटी = वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल.

6.7.1 वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण

वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों, विशेषकर डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता और उनकी समझ बनाना ऐसा विषय है जिस पर नाबार्ड प्राथमिकता से ध्यान देता रहा है. नाबार्ड से सहायता प्राप्त पहलों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर का आयोजन, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट हेतु परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और बैंकिंग सेवाओं से वंचित गाँवों में डेमो वैन और कियोस्क उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं. वित्तीय साक्षरता के व्यापक प्रयास किए गए हैं, जिनके तहत 8.1 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 35 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया. इन प्रयासों ने ग्रामीण आबादी द्वारा प्रौद्योगिकी के अंगीकरण की प्रक्रिया में सहयोग किया और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया.

6.7.2 प्रौद्योगिकी अंगीकरण और आधारभूत संरचना हेतु सहयोग

नाबार्ड, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है- विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए. इसमें सीबीएस के अंगीकरण हेतु सहायता देना और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में एनी ब्रांच बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और एटीएम उपलब्ध कराना शामिल है.[8] नाबार्ड किसानों के लिए समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से संशोधित केसीसी जैसी पहलों हेतु सहायता प्रदान करता है, तथा पीएफएमएस, भीम यूपीआई और एयूए/केयूए जैसी सुविधाओं के माध्यम से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का संवर्धन करता है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में सीएसपी[9] और कियोस्क जैसे बैंकिंग सेवा केंद्र उपलब्ध कराए जा सकें. अनियमित बिजली आपूर्ति और कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नाबार्ड वीसैट,[10] मोबाइल बूस्टर और सोलर यूनिटों हेतु निधि सहायता प्रदान करता है. 77,219 माइक्रो-एटीएम, 72,552 पॉस/एमपॉस मशीनों,[11] और लगभग 14 लाख भीम आधार पे उपकरणों के साथ-साथ मोबाइल वैनों के माध्यम से 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण (हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग) के आयोजन के फलस्वरूप वंचित क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई है.

पैंतीस करोड़ परिवारों तक पहुँचने वाले 8.1 लाख से अधिक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों ने प्रौद्योगिकी को अपनाने और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय सुधार किया है.

6.7.3 वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान वित्तीय समावेशन निधि से सहायता प्राप्त नई गतिविधियाँ

- माइक्रो-एटीएम हेतु सहायता: सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अनुदान सहायता (शोकेस 6.1).

नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम दिया गया ताकि डिजिटल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यापार में आसानी सुनिश्चित की जा सके और दूरस्थ स्थानों पर भी डेयरी किसानों को घर-पहुँच वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर वित्तीय समावेशन का संवर्धन किया जा सके.

शोकेस 6.1: 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार' का संवर्धन

परियोजना: 'सहकार से समृद्धि' योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार का संवर्धन

उद्देश्य:

- प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों द्वारा सहकारी बैंकों के साथ वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा देना
- सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करना और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना
- बैंकिग सेवाओं तक ग्रामीण ग्राहकों की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना

स्थान: गुजरात के पाँच जिले

द्वारा कार्यान्वित: बनासकांठा जिमस बैंक और पंचमहाल जिमस बैंक

अनुदान सहायता: ₹367 लाख

चुनौतियाँ: बैंक शाखाओं की दूरस्थता के कारण बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में बाधा

सहयोग:

- प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों को जिमस बैंकों का बिजनेस करेस्पॉन्डेंट/ बैंक मित्र बनाया गया.
- नाबार्ड की सहायता से बैंक मित्र डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम दिया गया ताकि डिजिटल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यापार में आसानी सुनिश्चित की जा सके और दूरस्थ स्थानों पर भी डेयरी किसानों को घर-पहुँच वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर वित्तीय समावेशन का संवर्धन किया जा सके.
- वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अभियान आयोजित किए गए, जिससे डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच माइक्रो-एटीएम की क्षमताओं और इस अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सके
- डेयरी समितियों और उनके सदस्यों को जिमस बैंकों में बैंक खाते खोलने हेतु प्रोत्साहित किया गया
- जिमस बैंकों द्वारा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच केसीसी का संवर्धन और वितरण किया गया

उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

- भौगोलिक कवरेज
  - पैक्स में माइक्रो-एटीएम विनियोजित : 465 (नाबार्ड की सहायता से 440)
  - सहकारी दुग्ध समितियों में माइक्रो-एटीएम विनियोजित : 1,271 (नाबार्ड की सहायता से 1,191)
- वित्तीय समावेशन और नए खाते
  - नए बचत खाते खोले गए: 3.9 लाख
  - वित्तीय लेन-देन में 06 माह पूर्व की स्थिति की तुलना में 50 गुना वृद्धि
- कृषि वित्तपोषण में सुविधा: 77,995 रुपे केसीसी जारी/ पुनः जारी किए गए
- बैंकों द्वारा विशेष प्रयास: पंचमहाल जिमस बैंक और बनासकाँठा जिमस बैंक ने अपने आंतरिक संसाधनों को उपयोग करते हुए अतिरिक्त माइक्रो-एटीएम विनियोजित किए, जिससे दीर्घावधि वित्तीय समावेशन पहलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है.
- जिमस बैंकों हेतु लाभ:
  - डेयरी समितियों में माइक्रो-एटीएम के विनियोजन से बैंकों का ग्राहक आधार बेहतर हुआ क्योंकि उनकी वजह से बैंक की शाखा से दूर रहने वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जा सकीं, जिससे यात्रा (शाखा तक) की लागत और इसमें लगने वाले समय की बचत हुई.
  - जिमस बैंको की जमाराशियों में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके ऋण पोर्टफोलियो में भी वृद्धि हुई है.
  - अनेक सहकारी दुग्ध समितियों ने अन्य बैंकों में अपने खाते बंद कर इन जिमस बैंकों में खाते खोल लिए हैं.

- सहकारी समितियों के लिए लाभ:
  - प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के डेयरी किसान सदस्य रुपे केसीसी के माध्यम से जिमस बैंकों से समय पर किफ़ायती ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं.
  - माइक्रो-एटीएम के माध्यम से डिजिटल लेन-देन के फलस्वरूप डेयरी समितियों के परिचलानों में पारदर्शिता बढ़ी है.
  - बैंक मित्र के रूप में प्राप्त कमीशन/शुल्क से उनकी विविध आय में वृद्धि हुई है.
- प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए, दिनांक 15 जनवरी 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात के सभी जिलों में 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहकार' अभियान की शुरुआत की गई.

निष्कर्ष: यह परियोजना डिजिटल बैंकिंग की परिवर्तनकारी क्षमता का ज्वलंत उदाहरण है. इससे वित्तीय समावेशन के साथ-साथ सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई है, जिससे सतत विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

एटीएम = स्वचालित टेलर मशीन, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, केसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति

- **पूर्वोत्तर राज्यों में परिचालनरत बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी)/ बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) हेतु प्रोत्साहन योजना:** पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत बैंकों के सीएसपी और बीसी को वित्तीय समावेशन निधि से सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है. इस सहायता का उद्देश्य इन क्षेत्रों में उच्च परिवहन लागत बचाना और सेवा प्रदताओं की निवल आय में वृद्धि करना है. प्रत्येक बीसी के लिए ₹1,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है, जो बैंकों द्वारा उन्हें पहले से अदा किए जा रहे निश्चित और परिवर्तनशील कमीशन के अतिरिक्त है. इसकी पात्रता प्राप्त करने के लिए बीसी को एक माह में औसतन 50 लेन-देन करने होंगे. इस पहल का उद्देश्य बीसी को वित्तीय समावेशन प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सशक्त बनाना है. प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे बीसी एजेंटों या सीएसपी ऑपरेटरों को किया जाता है.
- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हेतु अधिगम प्रबंधन (लर्निंग मैनेजमेंट) प्रणाली विकसित करने की योजना:** नेशनल एकेडमी ऑफ रुडसेटी और आईआईटी मद्रास[12] के सहयोग से कार्यान्वित इस परियोजना का उद्देश्य है वृहत्तर वित्तीय समावेशन की दिशा में आरसेटी के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का निर्माण कर कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना. यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास हेतु 11 भाषाओं में 64 पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, जिसमें कौशल विकास के लिए 4400 घंटों की विडियो सामग्री होगी. इसका उद्देश्य वर्ष में लगभग 6 लाख ग्रामीण प्रशिक्षुओं की क्षमता में वृद्धि करना है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समृद्धि आएगी.
- **महिला विश्व बैंकिंग (डब्लूडब्ल्यूबी) के साथ साझेदारी:** नाबार्ड और डब्ल्यूडब्ल्यूबी ने औपचारिक रूप से एक साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य सफल जनधन प्लस कार्यक्रम को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्यान्वित करना है. जनधन प्लस कार्यक्रम का पहले भी काफी असर हुआ है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जनधन योजना के 80 मिलियन खाताधारकों द्वारा बुनियादी वित्तीय सेवाओं के अंगीकरण में वृद्धि देखी गई है.
- **आरसेटी/रुडसेटी को पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव हेतु प्रति आरसेटी/ रुडसेटी को अधिकतम 4.5 लाख तक की एकबारगी अनुदान सहायता प्रदान की जाती है. बैंकों को, आरसेटी/रुडसेटी सहित, व्यवसाय और कौशल विकास केंद्रों हेतु भी सहायता प्रदान की जा सकती है.
- **विशेष अभियान 3.0:** डीएफएस, भारत सरकार के निर्देशानुसार नाबार्ड ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेग्रा बैंकों के साथ समन्वयन किया है. क्षेग्रा बैंकों ने अक्तूबर 2023 के दौरान विशेष वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत नए खाते खोले गए, तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), और अटल पेंशन योजना हेतु नए नामांकन प्राप्त हुए (शोकेस 6.2) . सभी क्षेग्रा बैंकों के सामूहिक प्रयासों से पूरे देश में 640 वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान आयोजित किए गए जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1.1 लाख नए खाते खोले गए तथा पीएमएसबीवाई के तहत 1.8 लाख, पीएमजेजेबीवाई के तहत 94, 209 और एपीवाई के तहत 34, 279 नए नामांकन प्राप्त हुए.

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड मंडियों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित कर रहा है, पीओएस मशीनें तैनात कर रहा है और क्यूआर कोड आधारित भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग कर रहा है.

शोकेस 6.2: बिहार में वित्तीय साक्षरता के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन

परियोजना: विशेष वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का संचालन और ग्रामीण समुदायों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच

स्थान: बिहार

कार्यान्वयनकर्ता: दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक

अनुदान सहायता: ₹140.1 लाख

चुनौतियाँ: समुदायों में बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता नहीं थी और आजीविका के अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित थी.

सहयोग: जागरूकता निर्माण हेतु व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

उपलब्धियाँ>>परिणाम>>प्रभाव

- भौगोलिका कवरेज: 20 जिलों के 1046 गाँवों के 46,663 लाभार्थियों ने भाग लिया
- खोले गए खातों की संख्या:
  - नए पीएमजेडीवाई खाते: 13,039.
  - पीएमएसबीवाई नामांकन : 23,255
  - पीएमजेजेबीवाई नामांकन: 17,267
  - एपीवाई नामांकन: 7,700
  - बचत बैंक खाते: 11,480
  - जारी डेबिट कार्ड: 1,403
  - जारी/पुनःसक्रिय किए गए क्रेडिट कार्ड : 977

अरोपुर पर चर्चा

अरोपुर गांव बिहार के कृषि क्षेत्र में स्थित है. पहले यहाँ वित्तीय साक्षरता की कमी थी, अब लगभग आधे गांववासियों ने बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त की हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,920 से अधिक नए खाते खोले गए हैं. उक्त के परिणामस्वरूप :

- महत्वपूर्ण सरकारी पहलों के प्राप्तकर्ताओं की संख्या (पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, और एपीवाई) बुलंदी पर है.
- 150 से अधिक छोटे किसानों को केसीसीसी और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त हो रही है.
- 50 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दी है तथा उनमें सशक्तीकरण और सामुदायिक जुड़ाव की भावना को बढ़ाया है.
- उद्यमियों ने पीएम मुद्रा योजना ऋण का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया है, नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर आय और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन किया है.
- इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के तहत चार ग्रामीण निवासी अब स्थायी घरों के मालिक हैं.

निष्कर्ष: दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने नाबार्ड की सहायता से समन्वयकारी प्रयासों और लक्ष्यित उपायों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण समुदायों के बीच वित्तीय साक्षरता और डिजिटल जागरूकता बढ़ाई तथा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में बहुत सुधार किया, जिससे समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

एपीवाई = अटल पेंशन योजना, केसीसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमएवाई-जी = प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम-किसान= प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएमजेडीवाई = प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेजेबीवाई = प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमसबीवाई = प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.

- **कृषि उत्पाद और पशुधन बाजार समिति/ मंडी में डिजिटल भुगतान का संवर्धन:** भारत सरकार ने नाबार्ड को 30 कृषि बाजारों (मंडियों) में डिजिटल भुगतान के संवर्धन का कार्य सौंपा है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, नाबार्ड ने कई पहलों को कार्यान्वित किया है, जिनमें बाजार के इलाकों के साथ-साथ आस-पास के गाँवों में लगभग 400 वित्तीय साक्षरता शिविरों, डिजिटल साक्षरता शिविरों, और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शामिल है. इसके साथ ही, डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए पॉस मशीनों को विनियोजित किया गया है. क्यूआर कोड आधारित भुगतान की सुविधा के लिए पेमेंट एग्रीग्रेटरों के साथ सहयोग स्थापित किया गया है. इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन से होने वाले लाभों को रेखांकित करने के लिए बैनर और होर्डिंग्स को विशिष्ट स्थानों पर स्थापित किया गया है. इन संगठित प्रयासों का उद्देश्य किसानों और हितधारकों को अपने आपको बदलने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कृषि बाजारों के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी.

6.8 आगे की राह

आरम्भ से, नाबार्ड का पूरा ध्यान पुनर्वित्त के आपूर्ति पक्ष पर केंद्रित रहा है. एक विकास संस्थान के रूप में, उसने माँग पक्ष की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए भी नीतियाँ तैयार की हैं. नाबार्ड ऋण जोखिम को कम करने के लिए पुनर्वित्त का अनुप्रवर्तन करता है, और अपने कई उत्पादों और अभियानों के माध्यम से ऋण से वंचित क्षेत्रों में इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए कार्य करता है.

हाल के वर्षों में, नाबार्ड की पहलें अधिकतर प्रौद्योगिकी-आधारित हो गई हैं. नाबार्ड ऋण पहुँच में मौजूदा असमानताओं को दूर करने के प्रयोजन से नवोन्मेषी वितरण मॉडल अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में लगातार निवेश कर रहा है. निकट भविष्य में, नाबार्ड बिग डेटा, कृत्रिम मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल करेगा ताकि शत-प्रतिशत ऋण आपूर्ति, सैचुरेशन और वित्तीय समावेशन की स्थिति प्राप्त की जा सके. इन सबके बाबूजद, नाबार्ड उन उत्साही मनुष्यों का भी हमेशा ध्यान रखेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था को कायम रखते हैं.

नाबार्ड की कुछ आगामी पहलें हैं:

अ. एचटीएस/एसडी वैन के माध्यम से कनेक्टिविटी

- बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बैंकों को मौजूदा वाइड-बीम वीसैट के अलावा एसडी-वैन के साथ एक नई कनेक्टिविटी तकनीक (उपग्रह के माध्यम से स्पॉट-बीम कनेक्टिविटी प्रदान करना) एचटीएस वीसैट और डुअल एलटीई प्रदान की जा रही है.[13] एचटीएस वीसैट तकनीक अधिक भरोसेमंद है और नेटवर्क कंजेश्चन को भी कम करती है, जिसके कारण यह बैंकों की संचार प्रणालियों को अपग्रेड करने का एक अहम साधन है. इससे बैंकिंग कनेक्टिविटी और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
- एचटीएस प्रणालियाँ और एसडी-वैन कनेक्टिविटी में आने वाली क्षेत्रीय असमानताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें कनेक्टिविटी और वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने की क्षमता है, विशेष कर वंचित क्षेत्रों में.

आ. पहाड़ी राज्यों में कार्यरत बीसी/सीएसपी को मेहनताने की योजना

- पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत बीसी के लिए मेहनताने की योजना वर्ष 2023 में शुरु की गई थी, जिसके तहत बीसी को मासिक रूप से एक निश्चित लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना को अन्य पहाड़ी राज्यों, जैसे - हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखण्ड - में कार्यरत बीसी के लिए भी लागू किया गया है.

इ. क्षेत्रा बैंकों के लिए जनसुरक्षा पोर्टल का स्वचालन

- जन सुरक्षा योजनाओं- पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई - के एक भाग के रूप में जनसुरक्षा पोर्टल का स्वचालन किया गया है, जिससे ऑनलाइन नीतियों को जारी किया जा सकता है और दावों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है. इस पहल के परिणामस्वरूप एक डेटा रिपॉज़ीटरी बनाई जा सकती है और डुप्लीकेट नीतियाँ बन जाने की स्थिति से बचा जा सकता है. यह पहल अप्रत्याशित जोखिमों और अनिश्चितताओं से सामाजिक सुरक्षा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए.
- नाबार्ड ने सभी 43 क्षेत्रा बैंकों को इस प्लेटफार्म तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता दी है. इससे सभी ग्रामीण समुदायों को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने और कुशलता बढ़ाने के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता रेखांकित होती है. इस पहल से जन सुरक्षा योजनाओं में डिजिटल

नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पहुँच, परिपूर्णता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उभरती हुई तकनीकों जैसे बड़े डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्वांटम कम्प्यूटिंग का उपयोग करेगा.

एनरोलमेंट और दावों के निपटान की दृष्टि से क्षेग्रा बैंक वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष बन जाएंगे जो भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' विज़न के अनुरूप है.

इ. वित्तीय समावेशन 2.0

- वित्तीय समावेशन 2.0 के लिए राष्ट्रीय रणनीति के तहत अगले 5 वर्षों में अग्रणी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए नाबार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहयोग करेगा.

नोट्स

1. क्षेत्र-वार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
   - दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप
   - पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
   - उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
   - मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
   - पूर्व: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
   - उत्तर-पूर्व: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और सिक्किम
2. एआईएफ = कृषि आधारभूत संरचना निधि, एमएससी = बहु-सेवा केंद्र, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति.
3. एमएसएमई = सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम.
4. ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड भारत में परिचलनरत एक ऋण सूचना कंपनी है.
5. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण का मिशन देश में परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली स्थापित करना है.
6. डीएवाई-एनआरएलएम = दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डब्ल्यूएसएचजी = महिला स्वयं सहायता समूह.
7. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/WhatsNew/2205244306chairman-launches-first-of-its-kind-accelerator-project.pdf.
8. एटीएम = स्वचालित टेलर मशीन, एनईएफटी = राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, आरटीजीएस = तत्काल सकल निपटान
9. एयूए = आधार उपयोगकर्ता एजेंसी, सीएसपी= ग्राहक सेवा केंद्र, भीम = भारत इंटरफेस फॉर मनी, केयूए = केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केवाईसी = अपने ग्राहक को जानें), पीएफएमएस = सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यूपीआई = यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
10. वीसैट = वेरी स्मॉल एपेर्चर टर्मिनल.
11. पॉस/एमपॉस = प्वाइंट ऑफ सेल/ मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल
12. आईआईटी = भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुडसेटी = ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
13. एचटीएस = हाइ थ्रुपुट सेटलाइट, एलटीई = लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन, एसडी-वैन = सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क